प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील संख्या 1658/2000

गिरजाबाई

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

एल.सी. भादू
न्यायाधीश
3.12.2006

माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेन्द्र मिश्रा

सही /-

धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

निर्णय सुनाने के लिए इसे दिनांक 4/12/2006 को सूचीबद्ध करे

सही /-
एल.सी.भादू न्यायाधीश

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

युगल पीठ :- माननीय न्यायाधीश श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय न्यायाधीश श्री धीरेन्द्र मिश्रा,

दांडिक अपील संख्या 1658/2000

गिरजाबाई

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

सुश्री मीनू बनर्जी, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए.

श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए।

निर्णय

(4 दिसम्बर, 2006 को घोषित किया गया)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायाधीश एल.सी.भादू, द्वारा सुनाया गया।

1. धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस अपील के माध्यम से अभियुक्त गिरजाबाई ने द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार, जिला रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 57/2000 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंणडादेश के आदेश दिनांक 2/5/2000 की वैधता, सत्यता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त /अपीलार्थी को अपनी बहू निशा बाई की हत्या कारित करने के लिए धारा 302 भा . द. स के तहत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 1,000/– रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया था, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 6 माह के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 17–12–99 को रूपलाल साहू ने देहाती नालिशी प्र.पी/2 थाना प्रभारी, पुलिस थाना कसडोल को इस आशय की प्रस्तुत की वह ग्राम सरखोर का निवासी है। आज वह और कोटवार चमरादास जांच के सिलसिले में गांव में आए हवलदार के पास जा रहे थे। उसी समय उन्हें पीछे से "जय संतोषी मां" शब्द सुनाई दिया, जब उन्होंने मुंह पीछे घुमाया तो उन्हें ग्राम मणिपुर की गिरजाबाई दिखाई दी, उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे, वह कह रही थी 'मैंने "कांड" (कोई अप्रिय घटना) की है, वह पुलिस के पास जा रही है ,तब उन्होंने ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने बताया कि उसने अपनी बहू पर कुल्हाड़ी व हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी है। कोटवार ने आगे पूछा कि उसने हत्या क्यों की है तो गिरजाबाई ने बताया कि उसकी बहू टोनही करती है। कोटवार ने उससे कहा कि वह गिरजाबाई की देखभाल कर रहा है, तुम पता करो कि उसने क्या कहा है। वह साइकिल से मणिपुर के लिए निकल गया। वह रामेश्वर, बहादुर, बिसाहू, राजाराम, कलेश्वर, धरम व कंसराम के साथ गिरजाबाई के घर गया, वहां देखा कि एक लड़की गिरजाबाई के घर के बाहर खड़ी थी। उसके पिता के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उसके पिता खेत पर गए हैं, घर के अंदर कोई नहीं है। जब उन्होंने उससे उसकी माँ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी माँ सरखोर की ओर गई है, उसके बाद वे घर के आंगन की ओर गए तो देखा कि बरामदे के फर्श पर खून फैला हुआ था, गिरजाबाई की बहू बरामदे में मृत पड़ी थी, उसके सिर पर चोट के निशान थे, खून से सना एक हथौड़ा, कुल्हाड़ी और बबूल का एक डंडा जमीन पर पड़ा था। आगे पूछताछ करने पर गिरजाबाई की बेटी ने बताया कि उसकी माँ ने हत्या की है, उसके बाद वे वापस लौटे और कोटवार को सूचना दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. देहाती नालिशि (प्र.–पी/2) प्राप्त करने के बाद थाना प्रभारी, थाना , कसडोल ने धारा 302 भ .द .स. के अंतर्गत अपराध घटित होने की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.–पी/2–ए के तहत पंजीबद्ध की। वे घटनास्थल के लिए रवाना हुए तथा नज़री नक्शा प्र.–पी/4 तैयार किया। आरोपी गिरजाबाई के खून से सने कपड़े प्र.–पी/5 के तहत जब्त किए गए। कुल्हाड़ी, हथौड़ा तथा बबूल के पेड़ का एक डंडा प्र.–पी/6 के तहत जब्त किया गया। पंचों को प्र.–पी/7 की सूचना देने के पश्चात निशा बाई के शवपरिक्षण (प्र.–पी/8) तैयार की गई। निशा बाई के शव को प्र.–पी/16 के अंतर्गत शव परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कसडोल भेजा गया, डॉ. योगेश कुमार शर्मा ने निशा बाई के शव का शवपरीक्षा किया, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.–पी/22 तैयार की, जिसमें उन्होंने कहा कि मौत का कारण सिर में चोट लगना है ,तथा मृत्यु मानववध प्रकृति है । उन्होंने मृतक निशा बाई के सिर और चेहरे पर 5 फटे हुए घाव, 4 कटे हुए घाव और नीला निशान भी देखे। उन्होंने आगे बताया कि चोट संख्या 1, 2, 9 और 10 किसी धारधार वस्तु से कारित की गई थी और बाकी चोटें किसी कठोर और भोथरे वस्तु से कारित की गई । मास्टॉयड हड्डी और जबड़े का बायाँ हिस्सा फ्रैक्चर हो गया था।

4. सामान्य अन्वेषण के बाद अभियुक्त के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , बलौदा बाजार के न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उपार्पित कर दिया , जहां से विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को मामला विचारण के लिए स्थानतरण पर प्राप्त किया ।

5. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों का परीक्षण कराया है । अभियुक्त का बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य में उसके विरुद्ध आए अपराध सिद्ध करने वाले साक्ष्यों से इनकार किया। उसने यह भी कहा कि घटना के समय वह खेत में थी, उसे नहीं मालूम कि उसकी पुत्रवधू की मृत्यु कैसे हुई, जब वह खेत से लौटी तो उसने घर में अपनी पुत्रवधू का शव देखा, जिसे देखकर वह अचेत हो गई। उसने बचाव में बचाव साक्षी –1 संतोष तथा बचाव साक्षी –2 रमेशर की गवाही भी कराई।

6. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियुक्त/अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मीनू बनर्जी ने निशा बाई की मृत्यु को मानव वध होने से इनकार नहीं किया है। इसके अलावा, निशा बाई के शव का शवपरिक्षण करने वाले अ.स –11 डॉ. योगेश कुमार शर्मा ने कहा है कि सिर और चेहरे के विभिन्न हिस्सों पर 10 चोटें थीं। ये चोटें मृत्यु–पूर्व प्रकृति की थीं। जबड़े की हड्डी और मास्टॉयड हड्डी टूटी हुई थी। एक दाढ़ का दांत टूटा हुआ था। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने कुल्हाड़ी और हथौड़े की जांच की थी। कुल्हाड़ी और हथौड़े से ये चोटें लगना संभव था। चोटें गंभीर प्रकृति की थीं और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। अ.स –1 रूपलाल और अ.स –2 चमरा दास के साक्ष्य, जिनके समक्ष अभियुक्त ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी, भी यह स्थापित करते हैं कि निशा बाई की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। इसलिए, यह स्थापित है कि मृतक की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

8. जहां तक आरोपी/अपीलकर्ता की अपराध में संलिप्तता का सवाल है, इस मामले में कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है। दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित अर्थात

(i)गिरजाबाई द्वारा अ.स –1 रूपलाल, अ.स –2 चमरा दास और अ.स –4 भागचंद के समक्ष किया गया न्यायिकेत्तर संस्वीकृति,

(ii) घटना के तुरंत बा अ.स.–1 रूपलाल और अ.स.–2 चमरा दास ने अभियुक्त के कपड़ों और चेहरे पर खून देखा, अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात कुल्हाड़ी, हथौड़ा और डंडा खून से सने पाए गए।

यह सुस्थापित विधि है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या अभियोजन पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित करने में सक्षम रहा है;

1. जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया जा रहा है, उन्हें स्पष्ट और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

2. वे परिस्थितियां निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अचूक रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों;

3. परिस्थितियों को एक के बाद एक रूप से जोड़ने पर एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बन जानी चाहिए कि इस निष्कर्ष के अलावा कोई अन्य निषकर्ष नहीं निकले कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी अन्य द्वारा नहीं; तथा

4. दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए तथा अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ भी असंगत होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अब हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप स्थापित करने में सफल रहा है और क्या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण पर खरे उतरे हैं।

10. **पहली परिस्थिति**: जहां तक इस परिस्थिति का सवाल है, अभियुक्त /अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अ.स –1 रूपलाल और अ.स –2 चमरा दास के साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त गिरजाबाई द्वारा पुलिस अधिकारियों हवलदार और द्वारिका प्रसाद टंडन पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की गई थी, इसलिए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत आती है और साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।

11. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि अभियुक्त द्वारा किया गया न्यायिकेतर संस्वीकृति बयान पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं था, बल्कि यह अ.स.–1 रूपलाल और अ.स.–2 चमरा दास के समक्ष था, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान लागू नहीं होते।

12. यदि हम अ.स.–1 रूपलाल के साक्ष्य को देखें तो उसने बताया है कि घटना वाले दिन वह कोटवार चमरा दास के साथ दो पुलिस कर्मियों टंडन और एक प्रधान आरक्षक वर्मा के साथ जा रहा था, उस समय गिरजाबाई गली में आई और कह रही थी कि उसने हत्या की है। इस पर पुलिस कर्मियों ने कहा कि वह पागल लगती है, उसे ले जाओ। इसके बाद गिरजाबाई ने फिर कहा कि उसने हत्या की है। पूछताछ करने पर उसने आगे कहा कि उसने अपनी बहू की हत्या की है, इस पर वह कोटवार के साथ उसे चक्की पारा चौराहे पर ले गया। हमने निर्णय लिया कि चलो गिरजाबाई के निवास पर जाकर उसके कथन की सत्यता का पता लगाते हैं। इसके बाद वह अन्य व्यक्तियों के साथ गिरजाबाई के घर गया और देखा कि गिरजाबाई की बहू का शव खून से लथपथ बरामदे में पड़ा था, वह पहले से ही मर चुकी थी। उसके शरीर के पास खून से सना एक कुल्हाड़ी, हथौड़ा और डंडा पड़ा था, शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरिक्षण करने पर उसने आगे कहा बताया कि यह सही है कि जब उन्होंने मुंह घुमाकर पीछे देखा तो गिरजाबाई के चेहरे और हाथ पर खून के धब्बे दिखे, गिरजाबाई ने कहा कि उसने कांड किया है। जब वे आरोपी के घर पहुंचे तो वहां अभियुक्त की बेटी नारायणी खड़ी थी। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पिता खेत पर गए हैं और मां के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी मां सरखोर की तरफ गई है। उसने आगे बताया कि उसकी मां ने हत्या की है। इसके बाद उन्होंने देहाती नालिशी प्रदर्श .–पी/2 दी। अ.स –2 चमरा दास की गवाही भी ऐसी ही है। उसने बताया कि घटना वाले दिन शाम 4 बजे वह दो पुलिस कर्मियों और रूपलाल के साथ जा रहा था, उस समय गिरजाबाई आई और कहने लगी कि उसने हत्या की है और वह पुलिस के पास जा रही है, इस पर उसने रूपलाल से कहा कि तुम मणिपुर गांव में जाओ ताकि गिरजाबाई के बयान की सच्चाई पता चल सके। रूपलाल इसके बाद गिरजाबाई के घर गया जहाँ नारायणी खड़ी थी और उसने यह तथ्य बताया। अ.स –1 रूपलाल और अ.स –2 चमरा दास के साक्ष्य की पुष्टि अ.स –4 भागचंद के साक्ष्य से भी हुई है, जिसने कहा है कि अभियुक्त ने आकर उसे बताया कि उसने अपनी बहू की हत्या कर दी है। अ.स –4 भागचंद ने कहा है कि गिरजाबाई गाँव में आई और कहा कि उसने अपनी बहू की हत्या कर दी है, उसके गले, हाथ और कपड़ों पर खून के धब्बे मौजूद थे। इसलिए, इन गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि गवाह अ.स –1 रूपलाल, अ.स –2 चमरा दास दो पुलिस कर्मियों के साथ उस समय सरखोर गाँव में जा रहे थे, गिरजाबाई आई, वह कह रही थी कि उसने अपनी बहू की हत्या की है, इसलिए, आरोपी ने पुलिस कर्मियों के सामने न्यायिकेतर संस्वीकृति की, लेकिन उसने पुलिस कर्मियों के सामने स्वीकारोक्ति नहीं की थी, क्योंकि वह कह रही थी कि उसने अपनी बहू की हत्या की है और वह थाना जा रही है, इसलिए, वह नहीं जानती थी कि इन 4 व्यक्तियों में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुछ पुलिस कर्मी भी थे। पूछताछ करने पर, उसने अ.स –1 रूपलाल और अ.स –2 चमरा दास के सामने न्यायिकेतर संस्वीकृति की। बेशक, उस समय, संयोग से दो पुलिस कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि वे पुलिस कर्मी हैं, इसलिए उसने कहा कि वह पुलिस के पास जा रही है। अ.स –1 रूपलाल, अ.स –2 चमरा और अ.स–4 भागचंद के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और बचाव पक्ष प्रति–परीक्षण में कोई भी परिस्थिति नहीं बता पाया है,ताकि इन गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके । अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि संस्वीकृति स्वैच्छिक या सच्चा नहीं था। इसके अलावा, संस्वीकृति तुरंत दिया गया था।

13. साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में यह परिकल्पना की गई है कि किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यकित के विरुद्ध साबित की जाएगी, जबकि धारा 26 में यह परिकल्पना की गई है कि कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो ,जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो ,ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो । इसलिए, धारा 25 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वीकारोक्ति पुलिस अधिकारी के समक्ष की जाए, केवल उस स्थिति में ही उसके खिलाफ स्वीकारोक्ति साबित नहीं की जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अब, इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा किया गया न्यायिकेत्तर संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत आती है, केवल इसलिए कि वह "पुलिस की उपस्थिति में" की गई थी, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के उपर्युक्त प्रावधानों में यह परिकल्पना की गई है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति अभियुक्त के विरुद्ध साबित न की जाएगी। इस मामले में, स्वीकारोक्ति "पुलिस के समक्ष" नहीं की गई थी, बल्कि वह अ.स –1 रूपलाल और अ.स –2 चमरा दास के समक्ष की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के प्रावधानों के पीछे भावना यह है कि पुलिस के समक्ष या "पुलिस की अधिरक्षा में" किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति, उसके करने वाले के विरुद्ध इसलिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि पुलिस की जांच एजेंसी होने के कारण, इस बात की पूरी संभावना है कि वे बलपूर्वक या थर्ड डिग्री विधियों का उपयोग करके स्वीकारोक्ति प्राप्त कर सकते हैं या इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस के डर से पुलिस द्वारा पिटाई या उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर सकता है। ऐसे मामले में न्याय की विफलता की पूरी संभावना होगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों में यह विचार किया गया है कि जब न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के संदर्भ में किसी प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण स्वीकारोक्ति की गई है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में यह परिकल्पना की गई है कि प्रलोभन, धमकी या वचन के कारण किया गया स्वीकारोक्ति आपराधिक कार्यवाही में विसंगत है। धारा 25 और 26 में यह भी कहा गया है कि पुलिस के

समक्ष या पुलिस अभिरक्षा में किए गए स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल ऐसी स्वीकृति करने वाले के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 की आवश्यकता यह है कि "पुलिस अधिकारी" के समक्ष किया गया स्वीकारोक्ति निर्माता के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। यह धारा यह निर्धारित नहीं करती है कि यदि कोई स्वीकारोक्ति पुलिस की "उपस्थिति में" की जाती है, तो उसे ऐसी स्वीकृति करने वाले के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से, जब स्वीकृति करने वाले को यह पता न हो कि कोई पुलिस कर्मी मौजूद था। उन उन व्यक्तियों की उपस्थिति का ध्यान रखे बिना या पुलिस के अलावा अन्य व्यक्तियों के समक्ष स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति करता है, तो हमारी सुविचारित राय में, धारा 25 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। एकमात्र आवश्यकता यह है कि उक्त स्वीकारोक्ति पुलिस द्वारा पूछे जाने पर या पुलिस कर्मियों के हस्तक्षेप पर या पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में नहीं की जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण के लिए, हम अल्लूरी रामय्या बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय से पुष्ट होते हैं, जो 1987 में CRI.L.J. 1172 में प्रकाशित किया गया था। वर्तमान मामले में, अभियुक्त द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक था, क्योंकि अभियुक्त मणिपुर गाँव से आई थी, किसी के पूछे बिना, वह कह रही थी कि उसने अपनी बहू की हत्या कर दी है, इसलिए, स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य थी, क्योंकि अभियुक्त द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति के अनुसरण में, अ.स –2 चमरा दास द्वारा पूछे जाने पर, अ.स –1 रूपलाल मणिपुर गाँव में अभियुक्त के घर गया और उन्होंने पाया कि अभियुक्त की बहू का शव उसके घर के बरामदे में पड़ा था, यहां तक कि आरोपी की बेटी नारायणी भी खड़ी थी और उसने प्रकटीकरण किया कि निशा बाई बहू की हत्या उसकी मां ने की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **<u>दूसरी परिस्थिति:</u>** जहां तक इस परिस्थिति का संबंध है, अ.स.–1 रूपलाल और अ.स –2 चमरा दास ने बताया कि गिरजाबाई यह कहते हुए उनके पास आई कि उसने कांड (अप्रिय घटना) किया है। उन्होंने देखा कि उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के धब्बे थे। इसके अलावा अ.स –1 रूपलाल ने बताया कि कोटवार चमरा दास के कहने पर वह मौके पर गया, वहां उसने देखा कि अभियुक्त के घर के बरामदे में, उसकी बहू निशा बाई का शव खून से लथपथ पड़ा था, उसके चेहरे और सिर पर चोट के निशान थे। खून से सना हथौड़ा, कुल्हाड़ी और डंडा मौके पर पड़े थे। अन्वेषण अधिकारी अ.स –9 रत्नेश मिश्रा के साक्ष्य के अनुसार आरोपी के कपड़े प्र.पी/5–ए के तहत जब्त किए गए, खून से सना हथौड़ा, कुल्हाड़ी और बबूल का एक डंडा प्र.पी/6–ए के तहत जब्त किया गया। एफ.एस.एल प्रतिवेदन प्र.पी/21 के अवलोकन से पता चलता है कि साड़ी (डी–1), ब्लाउज (डी–2), साया (डी–3), कुल्हाड़ी (ई), हथौड़ा (एफ), डंडा (जी) खून से सना हुआ पाया गया। अ.स –11 डॉ. योगेश कुमार शर्मा ने भी यही कहा है कि उन्होंने कुल्हाड़ी और हथौड़े की जांच की, मृतका के शरीर पर मिले हथौड़े और कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाना संभव था। मृतका का शव घायल अवस्था में अभियुक्त के घर में मिला

था। अ.स –1 रूपलाल के साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त की पुत्री नारायणी ने कहा कि उसके पिता खेत पर गए हैं, इसलिए यह अभियुक्त को बताना है कि कैसे उसकी बहू को चोटें कैसे आईं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि यह अभियुक्त का घर था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों के अनुसार, यह अभियुक्त के विशेष ज्ञान में था कि वह बताए कि उसकी बहू को घर में कैसे चोटें आईं। बेशक, उसने स्पष्टीकरण दिया कि वह खेत में गई थी, जब वह लौटी, तो उसने निशा बाई को घायल अवस्था में देखा, वह बेहोश हो गई। लेकिन, यह स्पष्टीकरण झूठा था क्योंकि अ.स –1 रूपलाल और अ.स –2 चमरा दास, जो स्वतंत्र गवाह हैं, ने कहा है कि अभियुक्त अपने गांव मणिपुर से सरखोर तक आया था। उसने उनके सामने न्यायिकेतर संस्वीकृति की कि उसने अपनी बहू की हत्या की है। इसलिए, उसने झूठा स्पष्टीकरण दिया है कि वह अपने खेत में थी।

16. अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तथा वह पागलों जैसा व्यवहार कर रही है, इसलिए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत लाभ की हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. भ. द . स की धारा 84 के प्रावधानों को लागू करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि अपराध के समय, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण आरोपी, कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है, या वह ऐसा कुछ कर रहा है जो गलत है या विधि के विपरीत है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 में के प्रावधानों के अनुसार, यह स्थापित करने का भार आरोपी पर है कि जब उसने अपराध किया, तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 में यह परिकल्पना की गई है कि 'जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में किसी भी सामान्य अपवाद या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में निहित किसी विशेष अपवाद या प्रावधान के भीतर या अपराध को परिभाषित करने वाले किसी भी विधि के तहत मामले को लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार उस पर होता है, और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति को मान लेगा। बेशक, अपराध के मूल तत्वों को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत परिकल्पित भार को कुछ सामग्री अभिलेख पर लाकर यानी दस्तावेजी साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य, अन्य बचाव गवाहों को पेश करके या अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिपरिक्षण करके पूरा किया जा सकता है जो अभियुक्त द्वारा उठाए गए बचाव को संभावित बनाते हैं कि अपराध करने के समय अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ था। इस मामले में, अभियुक्त द्वारा यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी या मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसके विपरीत, द. प्र. स की धारा 313 के तहत अपने बयान में, उसने यह तर्क किया है कि अपराध करने के समय वह अपने खेत में थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों की प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ऐसा कुछ भी नहीं बता पाया जिससे यह

साबित हो सके कि अपराध करने के समय आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। यहां तक कि प्रतिपरिक्षण में भी, अ.स –9 रत्नेश मिश्रा, विवेचना अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक था, इसलिए, अभियुक्त /अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अपराध करने के समय आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, स्थापित नहीं होता है।

18. परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अवैधानिक या त्रुटिपूर्ण नहीं है। यह अपील गुणविहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।

सही /-
एल.सी.भादु
न्यायाधीश

सही /-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्ष कारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालय एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....**तेजस्विता नंदिनी शाह** .....